


अपने व्यवसाय  
को दे नया  
आयाम

# योजना क्रमांक 134, नवनिर्मित वसुंधरा कॉम्प्लेक्स में फ्री होल्ड पर 04 व्यवसायिक उपयोग की दुकानों की न्यूनतम दर से अधिक की निविदा आमंत्रण

इन्दौर विकास प्राधिकरण की योजना क्रमांक 134 वसुंधरा कॉम्प्लेक्स में व्यवसायिक उपयोग की 04 दुकानों को फ्री-होल्ड पर क्रय करने हेतु यूनिन बैंक ऑफ इण्डिया की प्राधिकरण शाखा तथा आय.सी.आय.सी.आय, बैंक इन्दौर की मालव परिसर शाखा से (बैंक कार्यालयीन समय में) रु. 590 (जी.एस.टी. सहित) जमा कर निविदा फार्म ले सकते हैं। प्राधिकरण की वेबसाइट से डाउनलोड किए गए निविदा फार्म के साथ रु. 590 (जी.एस.टी. सहित) का बैंक ड्राफ्ट पृथक से निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा। निविदा प्रपत्र के साथ निविदा प्रतिभूती राशि (अर्नेस्ट मनी) का डी.डी./बैंकर्स चैक भी आवश्यक रूप से संलग्न करना होगा।

अ. क्र.	दुकान क्र.	सुपर बिल्टअप एरिया (वर्ग.मी.मे)	बिल्टअप एरिया (वर्ग.मी.मे)	कारपेट एरिया (वर्ग.मी.मे)	आरक्षण श्रेणी	दुकान की कुल किमत रु. लाख में	पंजीयन राशि /अर्नेस्ट मनी रु. लाख में
1	2	3	4	5	6	7	8
1	S-8 (Double Height)	24.59	17.32	15.66	विधायक	39.70	4.00
2	S-12	21.64	15.24	13.71	विधायक	27.95	2.80
3	S-18	19.40	13.66	11.94	अनु.जन.जाती	25.05	2.50
4	S-20	22.46	15.82	14.03	स्व.सं. सेनानी	29.00	2.90



**एम.आर-10 एवं बाय पास के समीप**

**50 प्रतिशत राशि जमा करने पर कब्जा**

**फ्री होल्ड दुकाने**

- सम्पत्ति की प्रीमियम की प्रथम 25 प्रतिशत राशि आरक्षण पत्र जारी होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि में जमा करना होगी तथा शेष प्रीमियम की 75 प्रतिशत राशि 2 वर्ष की 8 त्रैमासिक किश्तों में 10.00 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज के साथ भुगतान करने की सुविधा रहेगी।
- निविदा प्रस्तुतकर्ता को तालिका में क्रमांक 8 में उल्लेखित प्रतिभूति (अर्नेस्टमनी) की राशि का डी.डी./बैंकर्स चैक भी निविदा के साथ जमा करना होगा।
- निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार प्राधिकारी को होगा, जिसके लिये कोई कारण नहीं दर्शाया जावेगा।
- रेरा प्रोजेक्ट पंजीकरण क्रमांक P-IND-18-1944
- इ.न.पा.नि. इन्दौर के पत्र क्र. 914 दि. 04.09.2020 द्वारा काय पूर्णता प्रमाण पत्र

निविदा प्रपत्र क्रय करने की तिथि  
30.12.2020 से 13.01.2021 तक

निविदा प्रपत्र प्रस्तुत करने की तिथि  
15.01.2021 सायं 4:00 बजे तक

निविदा प्रपत्र खोले जाने की तिथि व समय  
15.01.2021 सायं 4.15 बजे

विज्ञापन क्रमांक:- 231 दिनांक:- 26.12.2020

मुख्य कार्यपालिक अधिकारी  
इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर



विज्ञापन से संबंधित जानकारी हेतु संपर्क करे - श्री शेखर पामेचा, सहा यंत्री 97555-59697,  
श्री संजय गोयल, संपदा अधिकारी वर्ग-2, 98936-99194 श्री राजेश उपाध्याय, मार्केटिंग सेल 98936-99113  
प्राधिकरण की वेबसाइट [www.idaindore.org](http://www.idaindore.org) एवं IDA app भी देखे



**इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर**  
7, रेसकोर्स, रोड, इंदौर (म.प्र.)

**निविदा प्रस्तुत करने के संबंध में आवश्यक जानकारी**

संपत्ति क्रमांक	
आरक्षण श्रेणी	

**लिफाफा-ए में निम्नानुसार दस्तावेज रखें :**

- 1— निविदा प्रपत्र का भाग एक : सम्पत्ति हेतु निविदा की प्रस्तुति बाबत निर्देश (पृष्ठ क्रमांक 3 से 6)
- 2— निविदा प्रपत्र का भाग दो : शपथ पत्र का प्रपत्र (पृष्ठ क्रमांक 7 व 8)
- 3— निविदा प्रपत्र का भाग तीन : सम्पत्ति के आवंटन हेतु निबन्धन तथा शर्तें (पृष्ठ क्रमांक 9 से 12)
- 4— (अ) अर्नेस्ट मनी का डी.डी./ बैंकर्स चेक : क्रमांक.....दिनांक.....राशि.....
- (ब) यदि निविदा प्रपत्र डाउन-लोडेड है तो पृथक से डी.डी./बैंकर्स चेक : क्रमांक.....दिनांक.....राशि.....
- 5— आरक्षित श्रेणी का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो)
- 6— निविदादाता यदि कंपनी/फर्म/संस्था हैं तो संबंधित समस्त दस्तावेज
- 7— निविदा प्रपत्र क्रय करने की बैंक की रसीद
- 8— अन्य कोई दस्तावेज हो जैसे-आधार कार्ड/ड्रायविंग लायसेंस/वोटर आई.डी./पेनकार्ड की प्रति

**टीप : उक्त लिफाफे में निविदा प्रपत्र का भाग-चार नहीं रखा जावे।**

निविदादाता के हस्ताक्षर .....

## इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर निविदा दस्तावेज

विज्ञापन क्रमांक 231

दिनांक 26.12.2020

निविदा दस्तावेज में निम्न चार भाग सम्मिलित हैं :

भाग एक	:	सम्पत्ति हेतु निविदा की प्रस्तुति बाबत निर्देश
भाग दो	:	शपथ पत्र का प्रपत्र
भाग तीन	:	सम्पत्ति के आवंटन हेतु निबन्धन तथा शर्तें
भाग चार	:	निविदा प्रपत्र

### भाग-एक : सम्पत्ति हेतु निविदा की प्रस्तुति बाबत निर्देश

(दस्तावेज की हस्ताक्षरित प्रति, प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर, सील बंद लिफाफा 'ए' अर्थात् पात्रता लिफाफे में प्रस्तुत किया जाए)

विज्ञापन क्रमांक 231 दिनांक 26.12.2020 के संदर्भ में दुकानों को फ्री-होल्ड पर आवंटन हेतु, इच्छुक व्यक्ति उनके प्रस्ताव नीचे अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार प्रस्तुत कर सकते हैं।

### एक : निविदा तथा सम्पत्ति के आवंटन हेतु पात्रता

1. विज्ञापन में एक सम्पत्ति की निविदा की प्रस्तुति हेतु केवल एक निविदा प्रपत्र ही लागू होगा।
2. यदि निविदा प्रस्तुतकर्ता विज्ञापन की एक से अधिक सम्पत्तियों हेतु निविदा लगाने का इच्छुक हो तो उसे पृथक-पृथक निविदा प्रपत्र क्रय करने होंगे।
3. जो वैबसाईट से निविदा प्रपत्रों को डाऊनलोड करते हों, उनके द्वारा ऐसी समस्त सम्पत्तियों जिनके लिए निविदाएं प्रस्तुत की जा रही हैं, निविदा दस्तावेज शुल्क के लिये सम्पत्तियों के लिये पृथक-पृथक प्रपत्र के साथ निविदा प्रस्तुत की जाएंगी।
4. अवयस्क द्वारा प्रस्तुत की गई निविदा को ग्रहण नहीं किया जाएगा तथा उन्हें अपात्र घोषित कर दिया जाएगा।
5. व्ययन नियम 2018 के नियम 30 अनुसार ऐसा कोई व्यक्ति जिसे, किसी विकास प्राधिकरण द्वारा किसी विशिष्ट श्रेणी के लिए आरक्षित संपत्ति का आवंटन किया जा चुका हो, को इन नियमों के अधीन उसी विकास योजना में किसी अन्य श्रेणी के लिए आरक्षित किसी अन्य संपत्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए पात्र नहीं होगा।
6. निविदा प्रपत्र/निविदा दस्तावेज शुल्क गैर वापसी योग्य रहेगा।

### दो : निविदा दस्तावेजों के प्रस्तुतिकरण के लिए प्रक्रिया

1. उनके लिए, जो प्राधिकरण/विज्ञापन में निर्धारित बैंकों से निविदा प्रपत्रों को क्रय करते हैं, उन्हें प्राधिकरण/निर्धारित बैंकों द्वारा तीन अलग-अलग लिफाफे प्रदान किये जाएंगे जिन्हें  
लिफाफा ए-पात्रता संबंधी लिफाफा,  
लिफाफा बी- निविदा लिफाफा तथा  
तृतीय लिफाफा (आवरण लिफाफा) के रूप में चिन्हित किया जाएगा।
2. यदि निविदा प्रस्तुतकर्ता ने प्रपत्र को प्राधिकरण की वैबसाईट से डाऊनलोड किया हो तो निविदा प्रस्तुतकर्ता को तीन पर्याप्त आकार के पृथक लिफाफों की व्यवस्था करनी होगी ताकि प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों को सुविधाजनक ढंग से समायोजित किया जा सके, इन्हें सील बन्द किया जा सके तथा इन्हें "लिफाफा ए-पात्रता लिफाफा", "लिफाफा बी- निविदा लिफाफा" तथा आवरण लिफाफा अंकित करे और प्रत्येक लिफाफे पर नाम, विज्ञापन क्रमांक 231 व दिनांक 26.12.2020 तथा योजना क्रमांक 134, में नवनिर्मित वसुंधरा कॉम्पलेक्स में व्यवसायिक उपयोग के अन्तर्गत दुकान के आवंटन हेतु निविदा" लिखे तथा उसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर विकास प्राधिकरण को संबोधित किया जाएगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर .....

3. इच्छुक व्यक्तियों से **लिफाफा ए** तथा **लिफाफा बी** में, निम्न रूप से यथा विनिश्चित की गई जानकारी पूर्णता से प्रदान करने और उसे उचित रूप से सील बन्द करने की अपेक्षा की जाती है। लिफाफा ए तथा लिफाफा बी को आवरण लिफाफे में रखकर इसे सील बंद किया जाएगा।

**तीन: निविदा की वैधता, निविदा प्रतिभूति (अर्नेस्ट मनी) तथा निविदा प्रतिभूति (अर्नेस्ट मनी) का समपहरण**

1. निविदाएं, निविदा प्राप्ति की नियत तारीख से 90 दिवस की कालावधि के लिए विधि मान्य रहेंगी।
2. निविदा प्रस्तुतकर्ताओं को विज्ञापन में उल्लेखित प्रतिभूति (अर्नेस्टमनी) इन्दौर विकास प्राधिकरण के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट अथवा पे-आर्डर के रूप में प्रस्तुत करनी होगी। अन्य किसी भी रूप में (अर्नेस्टमनी) निविदा प्रतिभूति मान्य नहीं होगी।
3. अन्य निविदा प्रस्तुतकर्ता, जिनकी निविदाएं स्वीकार न की गई हों, निविदा लिफाफा खोलने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर लौटा दी जाएगी।
4. ऐसे निविदा प्रस्तुतकर्ता जिसका प्रस्ताव प्राधिकरण द्वारा स्वीकार कर लिया गया हो, जो या तो प्रस्ताव को वापस लेने का इच्छुक हो अथवा जिसके द्वारा निविदा दस्तावेज में भुगतान के निबन्धन तथा शर्तों के अनुसार निर्दिष्ट समयावधि के भीतर बकाया रकम का भुगतान करने में असमर्थ रहा हो अथवा जिसके द्वारा पात्रता से संबंधित तथ्यों/जानकारी के संबंध में मिथ्या प्रस्तुतिकरण किया जाना पाया गया हो, की निविदा प्रतिभूति (अर्नेस्ट मनी) समपहृत कर ली जाएगी।

**चार : प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी/अभिलेख**

#### **लिफाफा ए-पात्रता लिफाफा**

1. निविदा-प्रपत्र को प्राधिकरण की वेबसाइट से डाऊनलोड किये जाने की दशा में निविदा दस्तावेज शुल्क (गैर वापसी योग्य) हेतु इन्दौर विकास प्राधिकरण के पक्ष में डिमान्ड ड्राफ्ट/पे आर्डर अथवा यदि प्राधिकरण/ प्राधिकरण द्वारा निर्धारित बैंक से निविदा दस्तावेज क्रय किया गया हो तो निविदा दस्तावेज क्रय करने के लिए नगद भुगतान की मूल रसीद की प्रति।
2. निविदा प्रतिभूति (अर्नेस्ट मनी) हेतु रुपये ...../- का इन्दौर विकास प्राधिकरण के पक्ष में देय डिमान्ड ड्राफ्ट/पे आर्डर।
3. अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज।

#### **अ. वैयक्तिक/संयुक्त आवेदकों हेतु**

**ए)** ऐसा व्यक्ति जो आवेदक की ओर से निविदा प्रस्तुत कर रहा हो उसे निविदा प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किये जाने का शपथ-पत्र जिसमें निविदा प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति का नाम तथा पता, प्राधिकृत व्यक्ति से उसका संबंध तथा वे कारण, जिनके द्वारा उसे प्राधिकृत किया जाना आवश्यक हो गया हो, **(यदि लागू हो)** स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट हो।

**बी)** स्वयं/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा संलग्न प्रपत्र के अनुसार शपथ-पत्र **(भाग-दो)**।

**सी)** जहां किसी विशिष्ट श्रेणी के लिए आरक्षित संपत्ति के लिये निविदा प्रस्तुत की जा रही हो, वहां विभिन्न आरक्षण संबंधी श्रेणियों हेतु सक्षम प्राधिकारी नीचे दिये गये अनुसार होंगे। जहां आरक्षित श्रेणी की संपत्ति हेतु निविदा को सक्षम प्राधिकारी के प्रमाण-पत्र के बिना प्रस्तुत किया गया हो, प्रस्तुत निविदा को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर .....

अ.क्र.	आरक्षण की श्रेणी	प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारी
1	अनुसूचित जाति	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
2	अनुसूचित जाति (महिला)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
3	अनुसूचित जनजाति	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
4	अनुसूचित जनजाति (महिला)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
5	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
6	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
7	प्राधिकरण के कर्मचारियों के लिए	प्रशासकीय अधिकारी इ.वि.प्रा.
8	स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों/लोकतंत्र सेनानियों या उनके जीवित न होने की दशा में उनकी पत्नी/पति के लिए	जिला कलेक्टर / राज्य शासन
9	सेना के अधिकारी/भूतपूर्व सेनाअधिकारी	जिला, सैनिक कल्याण बोर्ड
10	पत्रकार रिपोर्टर के लिए	जन संपर्क विभाग से अधिमाम्यता का प्रमाण पत्र
11	दिव्यांगों के लिए	जिला मेडिकल बोर्ड/सिविल सर्जन/मुख्य चिकित्सा अधिकारी
12	सांसद/विधायक के सदस्य के लिए	सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र

**डी)** निविदादाता द्वारा फर्जी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने पर नियमानुसार जमा राशि राजसात कर ली जावेगी तथा संबंधित के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

**ई)** सम्पत्ति हेतु निविदा के प्रस्तुतिकरण हेतु अनुदेशों की हस्ताक्षरित प्रति **(भाग-एक)** और सम्पत्ति के आबंटन हेतु निबन्धन एवं शर्तें **(भाग-तीन)**

**एफ)** निविदा प्रस्तुतकर्ता/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का आधार कार्ड/पेन कार्ड/वोटर आयडी कार्ड/ड्राईविंग लायसेंस की स्व-हस्ताक्षरित फोटो कॉपी।

**जी)** अन्य कोई अभिलेख (जैसा कि प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए)

**ब. किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत कम्पनी/संस्था/फर्म/इकाई (सत्ता) हेतु**

**ए)** इकाई द्वारा निविदा हेतु आवेदन प्रस्तुत करने तथा इकाई की ओर से प्राधिकृत व्यक्ति को हस्ताक्षर करने हेतु नामांकित किये जाने संबंधी संकल्प।

**बी)** निविदा प्रस्तुत करने वाले प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा संलग्न प्रपत्र **(भाग-दो)** के अनुसार शपथ-पत्र।

**सी)** इकाई के निगमन (incorporation) का प्रमाण (संस्था के ज्ञापन तथा लेख/भागीदारी विलेख / न्यास विलेख/सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेज आदि)

**डी)** संपत्ति के लिये निविदा की प्रस्तुती हेतु अनुदेशों की हस्ताक्षरित प्रति **(भाग-एक)** तथा संपत्ति के आबंटन हेतु निबन्धन तथा शर्तें **(भाग-तीन)**

**ई)** अन्य कोई दस्तावेज (जैसा कि प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट किया जाए)

4. आवश्यक अपेक्षित जानकारी/दस्तावेजों, निविदा दस्तावेज शुल्क तथा निविदा प्रतिभूति (अर्नेस्ट मनी) के बिना प्रस्तुत निविदा अस्वीकार योग्य है। तथापि, प्राधिकरण अपने अनन्य विवेकाधिकार से किसी जानकारी के बारे में मांग कर सकेगा, जैसा कि वह दस्तावेज के सत्यापन/उनकी पर्याप्तता के बारे में पुष्टि और/या उनके सही होने के बारे में आवश्यक समझे।
5. लिफाफा 'ए' में वित्तीय प्रस्ताव/निविदा से संबंधित कोई जानकारी अंतर्विष्ट नहीं की जाएगी तथा लिफाफा 'ए' में यदि ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध कराई जाती है तो ऐसे निविदा को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
6. लिफाफा 'बी' में केवल निविदा प्रस्तुतकर्ता/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा सम्यक रूप से भरा हुआ तथा हस्ताक्षरित निविदा प्रपत्र अंतर्विष्ट होगा। **(भाग-चार)**।

**पांच: निविदा प्रस्तुति की नियत तारिख तथा निविदा प्रपत्रों को खोलना**

1. निविदाओं को 7, रेसकोर्स रोड़ प्राधिकरण भवन, इन्दौर में स्थित प्राधिकरण कार्यालय में कक्ष क्रमांक 105 में सम्पदा अधिकारी वर्ग-2 के समक्ष निविदा प्रपत्र में उल्लेखित निविदा दिनांक को **साय: 4.00 बजे तक प्रस्तुत किया जा सकता है।**
2. निविदाओं को 7, रेसकोर्स रोड़ प्राधिकरण भवन, इन्दौर में स्थित प्राधिकरण कार्यालय के बोर्ड रूम में सम्पदा अधिकारी के समक्ष निविदा प्रपत्र में उल्लेखित निविदा दिनांक को **सायं 4:15 बजे खोला जाएगा।**
3. निविदा खोलने के प्रथम चरण में केवल पात्रता लिफाफे को खोला जाएगा तथा प्राधिकरण द्वारा निविदा प्रस्तुतकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का परीक्षण किया जाएगा।
4. दस्तावेजों के परीक्षण के पश्चात, केवल पात्र पाये गये निविदा प्रस्तुतकर्ताओं के निविदा लिफाफों को उसी समय खोला जाएगा। ऐसे निविदा प्रस्तुतकर्ता जो निविदा लिफाफों को खोलने के समय उपस्थित रहने के इच्छुक हों, वे निविदा खोलने की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।

**छह: उच्चतम निविदा प्रस्तुतकर्ता की घोषणा**

1. सम्पत्ति के लिये आरक्षित दर/मूल्य से नीचे की निविदा स्वीकार योग्य नहीं होगी।
2. सामान्यतः, ऐसे उच्चतम निविदा प्रस्तुतकर्ता को, जो आरक्षित मूल्य से अधिक की दर प्रस्तुत करता है, निविदा लिफाफों को खोलने पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के अध्यक्षीन रहते हुए चयनित निविदा प्रस्तुतकर्ता घोषित किया जाएगा।
3. प्रस्तुत की गई निविदा का अंतिम परिणाम निविदा लिफाफा खोलने के अधिकतम 90 दिवस या इसके पूर्व के भीतर घोषित किया जाएगा तथा इसे प्राधिकरण के सूचना-पटल के साथ-साथ प्राधिकरण की वैबसाईट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा।
4. प्राधिकरण को किसी भी निविदा/समस्त निविदाओं को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

**सात: पते में परिवर्तन तथा निविदा प्रक्रिया की अद्यतन स्थिति का पता लगाना एवं संपत्ति का भौतिक सत्यापन।**

1. निविदा प्रस्तुतकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि निविदा प्रस्तुतकर्ता से पत्र-व्यवहार हेतु उसके पते में किसी परिवर्तन के बारे में प्राधिकरण को लिखित में सूचित किया जाएगा।
2. प्राधिकरण किसी भी प्रकार के पते में परिवर्तन के फलस्वरूप या, किसी प्रकार के डाक संबंधी विलंब के कारण किसी कार्यवाही में विलंब के लिये किसी भी रीति में उत्तरदायी नहीं होगा।
3. निविदा प्रस्तुतकर्ताओं को परामर्श दिया जाता है कि वे प्राधिकरण के सूचना पटल/वैबसाईट पर निविदा के संबंध में किसी भी सूचना के बारे में स्वयं को अद्यतन रखें।
4. निविदा प्रस्तुतकर्ता को परामर्श दिया जाता है कि वे निविदा प्रस्तुत करने के पूर्व संपत्ति के भौतिक निरीक्षण के पश्चात निविदा प्रस्तुत करें। निविदा स्वीकृति पश्चात कोई भी आपत्ति ग्राह्य नहीं होगी।

**भाग-दो : शपथ-पत्र हेतु प्रपत्र**  
**(सील बंद लिफाफे 'ए' : पात्रता लिफाफे में प्रस्तुत किया जाए)**  
 (शपथ-पत्र को रूपये 100/- के गैर-न्यायिक स्टाम्प (Non-judicial stamps) पर  
 सम्यक् नोटरी प्रमाणीकरण पश्चात् प्रस्तुत किया जाए)

**शपथ-पत्र (Affidavit)**

(प्राधिकरण की सम्पत्तियों के संबंध में अपेक्षणीय)

1. मैं, शपथकर्ता शपथ पर निम्नानुसार कथन करता/करती हूँ कि :
 

मेरा नाम : .....

पिता/पति का नाम : .....

पता : .....

व्यवसाय : .....

आयु : .....

वार्षिक आय : .....
2. यह कि मैं \_\_\_\_\_ (नाम) \_\_\_\_\_ (निविदा प्रस्तुतकर्ता का नाम )  
 की ओर से प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता हूँ तथा मुझे इकाई के संकल्प के अनुसार, \_\_\_\_\_  
 की ओर से निविदा प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया गया है (ऐसे प्रकरण में लागू होगा जहां निविदा  
 प्रस्तुतकर्ता कोई कम्पनी/फर्म/इकाई है)।
3. यह कि मैं \_\_\_\_\_ नाम \_\_\_\_\_ (प्राधिकृत व्यक्ति का  
 नाम) को संलग्न शपथ-पत्र के अनुसार मेरी ओर से निविदा प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत कर रहा हूँ (ऐसे  
 प्रकरण में लागू होगा जहां निविदा प्रस्तुतकर्ता ने किसी अन्य व्यक्ति को निविदा प्रस्तुतकर्ता की ओर  
 से निविदा प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया है)
4. यह कि मुझे मध्यप्रदेश राज्य में किसी भी प्राधिकरण की ओर से सम्पत्तियों की आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत कोई  
 सम्पत्ति आवंटित नहीं की गई है (ऐसे प्रकरण में लागू जहां निविदा प्रस्तुतकर्ता आरक्षित श्रेणी के  
 अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत कर रहा हो)।
5. यह कि निविदा प्रपत्र के अन्तर्गत प्रदान की गई समस्त जानकारी सही है तथा इसमें किन्हीं भी सारभूत तथ्यों  
 को छिपाया नहीं गया है।
6. यह कि मैंने निविदा संबंधी निबंधन तथा शर्तों तथा सम्पत्ति के व्ययन के बारे में प्राधिकरण के नियमों को पूर्णतः  
 समझ लिया है तथा ये निबंधन तथा शर्तें/नियम मुझे पूर्ण रूप से स्वीकार्य हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर .....



7. यह कि यदि निविदा के अन्तर्गत मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई किसी जानकारी को गलत/दुर्व्यपदेशनकारी पाया जाता है, तो प्राधिकरण को मेरी निविदा को अस्वीकार करने तथा प्रतिभूति राशि (अर्नेस्ट मनी) को समपहृत करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा तत्पश्चात् इस निविदा के अन्तर्गत आवंटित की गई सम्पत्ति को भी रद्द करने का अधिकार भी सुरक्षित रहेगा।
8. यह कि यह शपथ-पत्र प्राधिकरण द्वारा विज्ञापित सम्पत्ति अर्थात् संपत्ति/भूखंड क्रमांक ----- के आबंटन हेतु निविदा प्रस्तुत करने के लिए मेरे द्वारा प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जा रहा है

दिनांक :

.....

शपथकर्ता

(निविदा प्रस्तुतकर्ता/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

### :: सत्यापन ::

मैं, ..... पिता/पति श्री .....सत्यापित करता हूँ/करती हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई उपरोक्त वर्णित जानकारी मेरे व्यक्तिगत जानकारी, व्यक्तिगत ज्ञान के अनुसार सत्य है तथा इसमें कोई भी जानकारी न तो असत्य है और इसमें अंतर्विष्ट कोई भी बात छिपाई नहीं गई है। यह सत्यापन आज दिनांक ----- को किया गया।

.....

शपथकर्ता

(निविदा प्रस्तुतकर्ता/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

1. जो लागू न हो तथा अनावश्यक हो, उसे शपथ-पत्र में शामिल न करें।
2. ऊपर दिये गये प्रपत्र के अलावा किसी अन्य प्रारूप में प्रस्तुत किया गया शपथ-पत्र मान्य नहीं होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर .....

## भाग—तीन: सम्पत्ति के आवंटन हेतु निबन्धन तथा शर्तें

(Terms and Conditions for Allotment of Property)

(दस्तावेज की हस्ताक्षरित प्रति, प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर, सील बंद लिफाफा 'ए' अर्थात्, पात्रता लिफाफे में प्रस्तुत की जाए)

### एक: भुगतान की शर्तें (Payment Terms)

1. सफल आवेदन प्रस्तुतकर्ता को आवेदन की स्वीकृति के बाद आरक्षण पत्र जारी होने की तिथि से तीस दिन के भीतर कुल अधिमूल्य (प्रीमियम) की 25 प्रतिशत (आवेदन पंजीयन राशि के समायोजन पश्चात शेष) राशि जमा करनी होगी।
  2. सफल आवेदन प्रस्तुतकर्ता को आवेदन की स्वीकृति के बाद आरक्षण पत्र जारी होने की तिथि से तीस दिन के भीतर रुपये 1000/- के गैर-न्यायिक स्टाम्प पर (non-judicial stamps) अनुबन्ध-पत्र की एक प्रति, जिसमें आवंटन की निबन्धन तथा शर्तें शामिल होंगी, जमा करनी होगी।
  3. आवेदक द्वारा कुल अधिमूल्य (प्रीमियम) की 25 प्रतिशत (आवेदन पंजीयन राशि के समायोजन पश्चात शेष) राशि तथा अनुबन्ध-पत्र की प्रति प्राधिकरण कार्यालय में जमा करने के बाद ही आवंटन पत्र (Allotment Letter) जारी किया जाएगा।
  4. जहां सफल आवेदन प्रस्तुतकर्ता निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर उपरोक्त कंडिका 1 अनुसार भुगतान जमा करने में असफल रहता है तो इस संबंध में उक्त राशि जमा कराने बाबद समयवृद्धि हेतु लिखित आवेदन प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करता है तो व्ययन नियम/व्ययन विनियम अनुसार अधिकतम 90 दिवस की समयावधि में देय अधिमूल्य राशि पर 15 प्रतिशत विलंब ब्याज की राशि के साथ जमा करना होगा।
  5. उपरोक्त अनुसार दी गई निर्दिष्ट समयवृद्धि के भीतर आवेदन प्रस्तुतकर्ता भुगतान जमा करने में असफल रहता है वहां प्राधिकरण आरक्षण को रद्द तथा आवेदन पंजीयन राशि को समपहृत कर सकेगा।
  6. (अ) प्रीमियम की 25 प्रतिशत राशि जमा उपरांत प्रीमियम की शेष 75 प्रतिशत राशि 02 वर्ष की 08 त्रैमासिक किश्तों में 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज के साथ भुगतान करना होगा।  
(ब) प्रीमियम की 50 प्रतिशत राशि एवं संधारण शुल्क के भुगतान के पश्चात् ही कब्जा सौंपा जावेगा जिसकी सूचना पृथक से दी जावेगी।
- (1) संधारण शुल्क :
- (अ) **Ocupancy certificate** नगर पालिका निगम के पत्र क्र. 1131 दिनांक 23.09.2020 द्वारा प्राप्त होने की दिनांक से 2 वर्ष तक अर्थात् दिनांक 22.02.2022 तक भवन के कामन सर्विसेस के रखरखाव एवं हाउस किपिंग, सुरक्षा व्यवस्था इत्यादि पर व्यय प्राधिकारी करेगा। जिस हेतु संधारण राशि रुपये 16.00 प्रतिवर्ग मी. प्रति माह अर्थात् 2 वर्ष की कुल राशि आवंटन के समय जमा करना होगी।
- (ब) सभी दुकान धारको के सामने एमओएस की जगह पर पार्किंग स्थान उपलब्ध है। जिसका कोई अतिरिक्त शुल्क आवंटितियों से नहीं लिया जावेगा।
- (3) दुकानो का आंतरिक विद्युतिकरण कार्य आवंटिती अपनी आवश्यकता अनुरूप स्वयं के व्यय पर करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।
7. उपरोक्त बिंदु क्रमांक 6 (अ) अनुसार दी गई निर्दिष्ट समयवृद्धि के भीतर आवेदन प्रस्तुतकर्ता भुगतान जमा करने में असफल रहता है वहां प्राधिकरण आवंटन को रद्द तथा नियमानुसार राशि को समपहृत कर सकेगा।
  8. आवंटन किये जाने के पश्चात् यदि प्राधिकरण संपत्ति का आधिपत्य किसी भी कारण से चाहे जो भी हो, आवंटिती को प्रदान करने में असफल रहता है, तो प्राधिकरण द्वारा 7 प्रतिशत ब्याज के साथ जमा की गई रकम वापस की जाएगी।
  9. (अ) जहां राशि का भुगतान किश्तों में किया जा रहा हो वहां विहित अनुसूची (आवंटन पत्र में निर्धारित अनुसार) के अनुसार किश्तों का भुगतान आवंटिती द्वारा न किए जाने की दशा में आवंटिती को आवंटन निरस्त किये जाने का नोटिस संपदा अधिकारी द्वारा दिया जावेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर .....

(ब) तथापि, यदि आवंटिती प्राधिकरण के आवंटन निरस्त करने का नोटिस प्राप्त होने के एक माह में विहित अनुसूची (आवंटन पत्र में निर्धारित अनुसार) के अनुसार समस्त लंबित किश्तें मय ब्याज एवं 10 प्रतिशत दांडिक ब्याज (संबंधित किश्त की देयता तिथि से) का भुगतान कर देता है, तो संपदा अधिकारी आवंटन निरस्त करने का अपना नोटिस वापस ले सकेगा।

परंतु आवंटिती द्वारा आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर उक्त राशि हेतु एक वर्ष की 4 किश्तों में भुगतान की सुविधा दी जा सकेगी, किन्तु उक्त पर नियमानुसार 15 प्रतिशत विलंब ब्याज देय होगा।

(स) तथापि, यदि उपरोक्त उपनियम (ब) के अनुसार भुगतान नहीं किया जाता है तो मुख्य कार्यपालिक अधिकारी द्वारा आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। इस प्रकार भुगतान न किये जाने के कारण आवंटन निरस्त किये जाने पर, प्राधिकरण द्वारा प्रीमियम (अधिमूल्य) की 10 प्रतिशत राशि के बराबर राशि समपहत कर ली जाएगी तथा शेष मूलधन की राशि आवंटिती को लौटा दी जाएगी। आवंटिती को इस समपहत की गई राशि पर ब्याज का दावा करने की पात्रता नहीं होगी। किसी भी परिस्थिति में जमा ब्याज अन्य इत्यादि की राशि वापसी योग्य नहीं होगी।

10. यदि सम्पत्ति का क्षेत्रफल, विज्ञापन में संपत्ति के लिए अधिसूचित किये गये क्षेत्रफल से कम पाया जाता है, तो प्राधिकरण द्वारा अधिमूल्य (प्रीमियम) राशि को आनुपातिक रूप से कम किया जाएगा।

11. यदि सम्पत्ति का क्षेत्रफल, विज्ञापन में संपत्ति के लिए अधिसूचित किये गये क्षेत्रफल से अधिक पाया जाता है, तो बढे हुवे क्षेत्रफल की प्रीमियम की राशि की गणना व्ययन नियम, 2018 के नियमानुसार की जावेगी।

12. आवंटिती शासन, नगरपालिक अभिकरण अथवा अन्य किसी सांविधिक निकाय द्वारा आरोपित समस्त करों/शुल्कों/अभिकरों/प्रभारों के प्राधिकरण द्वारा सम्पत्ति का आधिपत्य सौंपे जाने संबंधी अधिसूचित की गई तिथि से भुगतान हेतु भी उत्तरदायी होगा। भले ही आधिपत्य ग्रहण किया गया हो अथवा नहीं।

#### दो : संपत्ति को पूर्ण-स्वामित्व (Free-Hold) पर प्रदान करने संबंधी शर्तें

1. सम्पत्ति का आधिपत्य "जैसा है, जहां है" के आधार पर हस्तांतरित किया जाएगा (जब तक अन्यथा उपबन्धित न हो)।

2. कम्प्लीशन/आक्युपेंसी सर्टिफिकेट प्राप्त होने एवं प्रीमियम (अधिमूल्य) की 50 प्रतिशत राशि एवं संधारण शुल्क एवं अन्य देय राशि के भुगतान के पश्चात् ही प्राधिकरण के संपदा अधिकारी वर्ग-2 द्वारा संपत्ति के वास्तविक आधिपत्य प्रदान करने के प्रयोजन हेतु तारीख तथा समय की अधिसूचना जारी की जाएगी। ग्राही की अनुपस्थिति की दशा में संपत्ति का भौतिक रूप से अधिग्रहण किया गया है, ऐसा माना जावेगा। परंतु आवंटिती को पूर्ण-स्वामित्व अधिकार विलेख का निष्पादन पूर्ण अधिमूल्य की राशि की प्राप्ति के बाद ही किया जावेगा।

3. अधिमूल्य (प्रीमियम) की सम्पूर्ण राशि एवं संधारण शुल्क, पार्किंग शुल्क (जहां आवश्यक हो), व अन्य देय राशि के भुगतान के पश्चात् ही प्राधिकरण के कार्यालय द्वारा जारी किये गये प्रोफार्मा के अनुसार आवंटिती द्वारा पूर्ण-स्वामित्व अधिकार विलेख (Free Hold Document)/दस्तावेज तैयार किया जायेगा तथा इन्हें प्राधिकरण के संपदा अधिकारी के समक्ष उसके हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। प्राधिकरण द्वारा हस्ताक्षर की तिथि से तीन माह के भीतर आवंटिती को अनिवार्यतः पंजीयक (Registrar) के कार्यालय से विलेख का पंजीकरण कराना होगा। आवंटिती अभिलेख के पंजीकरण से संबद्ध समस्त व्ययों का वहन करने हेतु उत्तरदायी होगा। पंजीकरण से तीस दिवस के भीतर उक्त विलेख की प्रमाणित प्रति भी प्राधिकरण के कार्यालय में जमा करनी होगी।

4. पूर्ण स्वामित्वधारी जो सम्पत्ति के पुनर्मापन (re-measurement) का इच्छुक हो, को प्राधिकरण कार्यालय में इस हेतु अपेक्षित शुल्क जमा करना होगा।

5. जहां संपत्ति का अंतरण उत्तराधिकार के नैसर्गिक न्यागमन (natural devolution of her ship)/वसीयत के अनुग्रह में चाहा गया हो तो वहां कोई अंतरण शुल्क देय नहीं होगा।

#### तीन : आवंटित सम्पत्तियों के लिए विकास तथा भवन विनियम

1. आवंटित की गई सम्पत्ति के अभिहित उपयोग में किसी परिवर्तन को अनुज्ञेय नहीं किया जाएगा।

2. आवंटिती सेवा संयोजनों से संबंधित आवश्यक अनुमतियों को प्राप्त करने तथा संबंधित शुल्कों/प्रभारों के भुगतान हेतु उत्तरदायी होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर .....

3. (अ) कब्जा प्राप्ति के पश्चात् आवंटित सम्पत्ति की सुरक्षा एवं संधारण (रखरखाव) का उत्तरदायित्व आवंटिती का होगा।
- (ब) कम्प्लीशन/आक्युपेंसी सर्टिफिकेट नगर पालिका निगम के पत्र क्रमांक 1131 दिनांक 23.09.2020 द्वारा प्राप्त होने की दिनांक से 2 वर्ष तक अर्थात् दिनांक 22.09.2022 के पूर्व परिसर के संधारण, बाह्य सेवाओं के रखरखाव एवं सुरक्षा की व्यवस्था हेतु पंजीकृत संस्था (रहवासी समिति) का गठन करना आवश्यक होगा।
- (स) कम्प्लीशन/आक्युपेंसी सर्टिफिकेट नगर पालिका निगम के पत्र क्रमांक 1131 दिनांक 23.09.2020 द्वारा प्राप्त होने की दिनांक से 2 वर्ष तक अर्थात् दिनांक 22.09.2022 के पश्चात् परिसर के संधारण, बाह्य सेवाओं के रखरखाव एवं सुरक्षा की व्यवस्था पंजीकृत संस्था (रहवासी समिति) द्वारा की जावेगी। इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर इसका उत्तरदायित्व वहन नहीं करेगा।
4. आवंटिती/पूर्ण स्वामित्वधारी विद्युत संयोजन की प्राप्ति तथा इससे संबंधित समस्त प्रभारों के भुगतान के लिये उत्तरदायी होगा।
5. आवंटिती/पूर्ण स्वामित्वधारी कर के सेवा संयोजनों से संबंधित आवश्यक अनुमतियों को प्राप्त करने तथा संबंधित शुल्कों/प्रभारों के भुगतान हेतु उत्तरदायी होगा, जो नगर पालिक निगम अथवा सेवा प्रदाय हेतु अन्य किसी संस्था के नियमों तथा विनियमों के अनुसार जलप्रदाय संयोजन, मलजल निकासी संयोजन तक ही सीमित न होगा। ऐसे प्रकरण में, जहां आवंटित सम्पत्ति ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां मलजल निकासी सेवा उपलब्ध नहीं है, वहां भू-स्वामी नगर पालिक निगम के नियमों तथा विनियमों के अनुसार मलजल की सुरक्षित निकासी के लिये आवश्यक व्यवस्था हेतु उत्तरदायी होगा।
6. आवंटित प्रकोष्ठ एवं बहुमंजिला भवन दोनों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन या परिवर्धन नहीं किया जा सकेगा। यदि पूर्व निर्मित संरचना का उल्लंघन कर परिवर्तन किया जाता है तो ऐसी परिस्थितियों में, आवंटिती पर किसी सांविधिक अथवा किसी शासकीय अभिकरण द्वारा उस पर कार्यवाही की जावेगी तथा उसे अधिरोपित किसी शास्त्र का भुगतान भी करना होगा।
7. यदि किसी प्रकरण में सम्पत्ति का उपयोग उसके अभिहित उपयोग से पृथक होना पाया जाता है तो ऐसी परिस्थितियों में, आवंटिती पर किसी सांविधिक अथवा किसी शासकीय अभिकरण द्वारा उस पर कार्यवाही की जावेगी तथा उसे अधिरोपित किसी शास्त्र का भुगतान भी करना होगा।
8. आवंटित प्रकोष्ठ एवं उसके परिसर की बाहरी विद्युत, स्वच्छता, पानी आदि व्यवस्था के परिवर्तन/परिवर्धन करते समय आवश्यकतानुसार निरीक्षण करने का अधिकार सक्षम अधिकारियों को रहेगा।
9. बहुमंजिला भवन के कॉमन एरिया का व्यक्तिगत उपयोग अथवा अतिक्रमण नहीं किया जा सकेगा।

#### चार : आवंटन का अन्तरण

व्ययन नियम, 2018 के नियम 36 के अंतर्गत मूल आवंटिती द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर आवंटन का अंतरण ऐसे व्यक्ति को कर सकेगा, बशर्ते कि ऐसा अन्य व्यक्ति उसी श्रेणी का सदस्य होगा, जिसके लिए उक्त सम्पत्ति को आरक्षित किया गया था। उक्त आवंटन से अंतरण का शुल्क जो कि अधिमूल्य (प्रीमियम) राशि अथवा आवेदन करने की तिथि को प्रचलित कलेक्टर गाइड लाइन दर, इनमें से जो भी अधिक हो, का एक प्रतिशत होगा। ऐसे किसी भी अंतरण के संबंध में कोई भी अनुमति इसके आवंटन तारीख से छह माह की समाप्ति से पूर्व प्रदान नहीं की जाएगी।

#### पाँच : अन्य निबन्धन तथा शर्तें

1. यदि आवेदन प्रपत्र, आवंटन एवं इकरारनामा से संबंधित निबन्धन तथा शर्तों में तथा "मध्य प्रदेश विकास प्राधिकरणों की सम्पत्तियों का प्रबन्धन तथा व्ययन नियम, 2018" के अथवा राज्य सरकार के अन्य किन्हीं नियमों/कानूनी उपबन्धों में विसंगति उदभूत होती है तो अन्तिम उल्लिखित उपबन्ध अभिभावी रहेंगे और आवंटिती पर बाध्यकारी होंगे।

2. यदि योजना के अधीन कोई विशेष निबन्धन तथा शर्तों का विशुद्धीकरण तत्संबंधी विज्ञापन में किया गया हो, वहां व्ययन हेतु सम्पत्ति के प्रस्तुतकर्ता/सम्पत्ति के प्राप्तिकर्ता के लिये इन शर्तों के अलावा उपरोक्त उल्लिखित शर्तें भी बाध्यकारी होंगी।
3. आवेदन प्रपत्र, आवंटन एवं इकरारनामा के निबन्धन तथा शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर यदि विवाद उद्भूत होता है तो विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया विनिश्चय अंतिम होगा।
4. जहां कहीं शब्द **“प्राधिकरण (Authority)”** का उपयोग किया गया हो वहां इसके प्रतिनिधि, नामनिर्देशिनी, उत्तराधिकारी तथा अनुज्ञात समनुदेशिनी (Permitted assignees) भी सम्मिलित होंगे तथा इसी प्रकार जहां शब्द **“ आवंटिनी/पूर्ण स्वामित्वधारी ”** का उपयोग किया गया हो, वहां इसमें उसके उत्तराधिकारी का नाम भी सम्मिलित होना माना जाएगा।

### छह : विशेष शर्तें

1. विज्ञापन के अन्तर्गत प्रदान की गई जानकारी अथवा प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये कोई संशोधन आवेदन दस्तावेज के अभिन्न भाग हैं। आवेदन प्रस्तुतकर्ताओं को समस्त पृष्ठों पर हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना होगा। आवेदन प्रस्तुतकर्ता यह भी स्वीकार करते हैं कि प्राधिकरण द्वारा वेबसाइट में अधिसूचना के माध्यम से, या किसी अन्य प्रकार से भी आवेदन दस्तावेज में जारी किये गये कोई संशोधन आवेदन प्रस्तुतकर्ता की जानकारी में है। यदि आवेदन प्रस्तुतकर्ता ऐसे किसी संशोधन के बारे में अवगत न हो तो प्राधिकरण इस कारण से आवेदन प्रस्तुतकर्ता को हुई किसी हानि के लिये उत्तरदायी न होगा। प्राधिकारी द्वारा आवंटित संपत्ति के संबंध में पत्राचार ई-मेल आई.डी. पर सूचित किया जा सकेगा जिसे आपको सूचना प्राप्त हो गई है, यह माना जावेगा।
2. योजना क्रमांक 134 में भूखण्ड क्रमांक 23-आर.सी पर नवनिर्मित नवनिर्मित वसुंधरा कॉम्प्लेक्स का रेरा पंजीयन क्रमांक P-IND-18-1944 है।
3. इन्दौर नगर पालिक निगम, इन्दौर के पत्र क्रमांक 914 दिनांक 04.09.2020 द्वारा कार्य पूर्णता प्रमाण प्राप्त किया गया है।
4. इन्दौर नगर पालिक निगम, इन्दौर के पत्र क्रमांक 1131 दिनांक 23.09.2020 द्वारा अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है।

दिनांक .....

.....  
(आवेदक के हस्ताक्षर)

निविदादाता के हस्ताक्षर .....

**इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर**  
7, रेसकोर्स, रोड, इंदौर (म.प्र.)

**निविदा प्रस्तुत करने के संबंध में आवश्यक जानकारी**

लिफाफा-बी में केवल निम्न दस्तावेज रखें (अन्य कोई भी दस्तावेज न रखें) :

- 1- निविदा प्रपत्र का भाग चार : निविदा प्रपत्र (पृष्ठ क्रमांक 14 से 16)

निविदादाता के हस्ताक्षर .....

भाग चार : निविदा प्रपत्र (इसे सील बंद लिफाफा 'बी' में प्रस्तुत किया जाए)

योजना क्रमांक 134, में नवनिर्मित वसुंधरा कॉम्प्लेक्स में व्यवसायिक उपयोग की दुकान हेतु निविदा प्रपत्र  
विज्ञापन क्रमांक 231

दिनांक 26.12.2020

निविदा प्रपत्र क्रमांक .....

मूल्य रूपये 590/- (जी.एस.टी.सहित)

अहस्तान्तरणीय (Not Transferable)

प्रति,

सम्पदा अधिकारी  
इन्दौर विकास प्राधिकारी,  
इन्दौर (मध्य प्रदेश )

निविदा प्रस्तुतकर्ता का नाम .....

निविदा प्रस्तुतकर्ता  
के पासपोर्ट आकार  
का फोटो यहां  
चिपकाएं

महोदय,

1- आपके विज्ञापन क्रमांक 231 दिनांक 26.12.2020 के संदर्भ में, जो योजना क्रमांक 134, में नवनिर्मित वसुंधरा कॉम्प्लेक्स में व्यवसायिक उपयोग के अंतर्गत पूर्ण स्वामित्वधारी/भूमिस्वामी अधिकारों (फ्री-होल्ड) के आधार पर दुकान के आवंटन के लिए है। इस निविदा प्रपत्र के एकीकृत भाग के रूप में दुकान के आवंटन हेतु निविदा प्रस्तुत करना चाहता हूँ/चाहते हैं। मेरे/हमारे द्वारा निविदा प्राधिकरण द्वारा जारी निविदा प्रपत्र के सभी निबन्धनों तथा शर्तों को पढ़कर स्पष्टतः समझ लिया गया है तथा पूर्णतः विधिवत स्वीकार कर लिया गया है तथा उनका पालन करने हेतु सहमति व्यक्त करता हूँ/करते हैं एवं इस निविदा प्रपत्र के निबन्धनों तथा शर्तों की विधिवत हस्ताक्षरित प्रतिलिपि संलग्न कर अपने बारे में वांछित जानकारी निम्नानुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ /रहे हैं :

**निविदादाता का विवरण**

- 1)(अ) निविदा प्रस्तुतकर्ता का नाम : 1.....  
2.....
- 1)(ब) पिता/पति का नाम : 1.....  
2.....
- 2)(अ) यदि निविदा कम्पनी/फर्म/किसी अन्य संस्था के नाम : .....  
से प्रस्तुत की जा रही है तो इसका नाम लिखें .....
- 2)(ब) निविदा प्रस्तुतकर्ता फर्म/कम्पनी के निदेशक/निदेशकों : .....  
के नाम (कम्पनी/फर्म/किसी अन्य संस्था के प्रकरण में) .....
- 3) पत्र व्यवहार का पूर्ण पता : .....
- पिनकोड.....
- दूरभाष/मोबाईल .....
- ई-मेल .....
- (कार्यालय).....निवास).....

निविदादाता के हस्ताक्षर .....

- 2—(अ) हमने यह निविदा प्रारूप विज्ञापन अंतर्गत निर्धारित बैंक द्वारा जारी रसीद क्रमांक.....दिनांक ..... के माध्यम से प्राप्त किया गया है (नगद भुगतान की मूल रसीद लिफाफा 'ए' में प्रस्तुत की गई है)।
- 2—(ब) हमारे द्वारा यह निविदा प्रारूप प्राधिकरण की वेबसाइट से डाऊनलोड किया गया है तथा निविदा प्रारूप के मूल्य स्वरूप मेरे/हमारे द्वारा बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक क्रमांक ..... दिनांक ..... राशि रुपये (अंको मे) 590/— (शब्दों में रुपये पाँच सौ नब्बे) (जी.एस.टी.सहित) लिफाफा 'ए' में प्रस्तुत कर दिया गया है।
- 3— मेरी/हमारी निविदा इसके प्रस्तुत करने की तारीख से 90 दिवस की कालावधि के लिए विधि मान्य रहेंगी।
- 4— मैं/हम अपनी निविदा के संबंध में निविदा प्रतिभूति राशि (अर्नेस्ट मनी), के रूप में बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक क्रमांक..... दिनांक ..... रुपये (अंको मे) ..... लाख (शब्दों में रुपये ..... ) इन्दौर विकास प्राधिकरण के पक्ष में प्रस्तुत कर रहे हैं। (इसे लिफाफा 'ए' में प्रस्तुत किया गया है)। मुझे/हमें यह भी संज्ञान है कि हमारे द्वारा प्रस्तुत की जा रही निविदा अवसूलीय (Irrevocable) है तथा यदि हमारे द्वारा इसे प्रतिसंहत किया जाता है तो इस निविदा के साथ जमा की गई निविदा प्रतिभूति राशि (अर्नेस्ट मनी) रुपये (अंको मे ..... लाख) (शब्दों में रुपये ..... ) समपहृत कर ली जाएगी।
- 5— मैं/हम यहां यह भी स्वीकार करता हूँ/करते हैं कि लिफाफा 'ए' में प्रदत्त समस्त जानकारी सत्य तथा सही है तथा प्रदत्त की गई जानकारी के बारे में पूर्ण दायित्व लेता हूँ/लेते हैं तथा यह सहमति भी प्रदान करता हूँ/करते हैं कि प्राधिकरण को ऐसी अतिरिक्त जानकारी; जैसी कि आवश्यक हो अथवा निविदा को पूरक किये जाने के संबंध में अथवा इसे सत्यापन किये जाने बाबत चाही जाने पर हमारे द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। यह भी स्वीकार करता हूँ/करते हैं कि इस निविदा की अर्हताओं के अनुसार इस निविदा के लिये अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने की योग्यता धारित करता हूँ/करते हैं। यह भी अवगत है कि हमारे द्वारा निविदा में प्रस्तुत की गई जानकारी गलत/तथ्यों का गलत ढंग से प्रस्तुतिकरण (misrepresentation of facts) पाया जाता है अथवा भुगतान की शर्तों के अनुसार राशि जमा करने में असफल रहते हैं तो इन्दौर विकास प्राधिकरण को हमारे द्वारा प्रस्तुत निविदा को निरस्त करने का तथा निविदा प्रतिभूति राशि (अर्नेस्ट मनी) को समपहृत करने का अधिकार होगा।
- 6— मैं/हम यह भी स्वीकार करता हूँ/करते हैं कि इन्दौर विकास प्राधिकरण इस निविदा को किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है तथा न ही वह किसी निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य है तथा न ही निविदा प्रस्तुतकर्ताओं को निविदा प्रस्तुत करने के लिये आमंत्रित किये जाने हेतु बाध्य है तथा यह भी कि वह बिना कोई कारण दर्शाये अथवा अन्यथा हमारी निविदा को रद्द कर सकता है तथा एतद्द्वारा किसी भी कारण से, भले वह जो भी हो, से इसे चुनौती प्रदान करने संबंधी हमारे अधिकार के अधित्यजन (waive) का अधिकार रखता है।
- 7— मैं/हम यह भी प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि देश की सुरक्षा तथा अखण्डता से भिन्न ऐसे मामलों में, जो मुझे/हमें न तो किसी न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है तथा न ही किसी नियामक प्राधिकरण ने मुझे/हमें आरोपी ठहराया है तथा न ही मेरे/हमारे विरुद्ध कोई प्रतिकूल आदेश पारित किये हैं, जो इस निविदा के लिये आवेदन किये जाने बाबत मेरी/हमारी पात्रता के बारे में किसी प्रकार का सन्देह प्रकट कर सके या किसी गंभीर अपराध से संबद्ध हो, जो समाज की नैतिक भावना का उल्लंघन करता हो। मैं/हम यह भी प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि देश की सुरक्षा तथा अखण्डता से संबंधित मामलों में सरकार के किसी अभिकरण द्वारा मुझे/हमें न तो कोई आरोप-पत्र जारी किया है तथा न ही किसी न्यायालय द्वारा मेरे/हमारे द्वारा किये गये किसी अपराध के संबंध में मुझे/हमें दोषी ठहराया गया है।
- 8— मैं/हम यह भी स्वीकार करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम आवंटित दुकान का उपयोग पूर्ण स्वामित्वधारी (free hold) के निबंधनों तथा शर्तों एवं राज्य के और/या परिनियम के अन्तर्गत गठित किसी अन्य अभिकरण की प्रयोज्य विधियों तथा विनियमों का कड़ाई से पालन करूंगा/करेंगे। हमारे द्वारा ऐसे पूर्ण स्वामित्वधारी/भू-स्वामी के समस्त निबंधनों तथा शर्तों से सहमति भी व्यक्त की जाती है जिसका निष्पादन दुकान का आवंटन होने पर किया जाएगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर .....



उल्लंघन की दशा में आवंटन/पूर्ण स्वामित्व भू-स्वामी विलेख की शर्तों के लिये रद्द करने संबंधी अधिकार प्रयोज्य विकास नियंत्रण विनियम, भवन निर्माण उपविधियों (Building bye-laws), भवन निर्माण विनियमों का अनुसाराण, शुल्क, दरों तथा करों के भुगतान के दायित्व जैसा कि अंतर्गत प्रयोज्य किसी विधि के अन्तर्गत संपत्ति को लागू हो ।

- 9— मैं/हम, सम्पत्ति के बारे में मेरी/हमारी बिना शर्त तथा अनर्हित (unconditional and unqualified) अपनी निविदा निम्नानुसार प्रस्तुत करता हूँ/करते हैं :

सम्पत्ति क्रमांक (अंकों में)	सम्पत्ति क्रमांक (शब्दों में)	संपत्ति की कुल कीमत (अंकों में)	संपत्ति की कुल कीमत (शब्दों में)

- 10(अ) मैं/हम यह भी समझता हूँ/समझते हैं कि सम्पत्ति का क्षेत्रफल सम्पत्ति के घोषित क्षेत्रफल से कम पाये जाने की दशा में, निविदा की कुल राशि का समायोजन तदनुसार आनुपातिक दर के अनुसार किया जाएगा ।
- 10(ब) यदि सम्पत्ति का क्षेत्रफल, विज्ञापन में संपत्ति के लिए अधिसूचित किये गये क्षेत्रफल से अधिक पाया जाता है, तो बड़े हुये क्षेत्रफल की प्रीमियम की राशि की गणना व्ययन विनियम के अनुसार की जावेगी ।
- 11— मैं/हम निविदा राशि की अवशेष राशि के भुगतान से संबंधित निबंधन तथा शर्तों से सहमत हैं तथा मेरे/हमारे द्वारा भुगतान की अदायगी में विलंब/चूक की दशा में उस पर प्रयोज्य ब्याज दरों तथा लागू शास्तियों/अर्थदण्ड का भुगतान किये जाने की सहमति भी व्यक्त करता हूँ/करते हैं ।
- 12— मैं/हम यह भी समझता हूँ/समझते हैं कि सम्पत्ति क्रमांक तथा संपत्ति की कुल कीमत अंकों में तथा शब्दों में उल्लेख किया जाना निविदा को स्वीकार किये जाने हेतु अनिवार्य है ।
- 13— मैं/हम यह भी समझता हूँ/समझते हैं कि निविदा प्रपत्र में नाम और/सम्पत्ति संख्या में लिफ्टलेखन (overwriting) या त्रुटि या परिवर्तन होने पर निविदा प्रस्ताव को अविधिमान्य बना देगा ।

उपरोक्त साक्ष्य में, मैं/हम निविदा प्रपत्र की शर्तों के अधीन एवं के अनुसार सम्पत्ति के आवंटन के संबंध में यह निविदा प्रस्तुत करता हूँ/करते हैं ।

भवदीय,

दिनांक :

स्थान :

.....  
निविदा प्रस्तुतकर्ता/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर :

निविदा प्रस्तुतकर्ता/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम :

.....  
यदि निविदा प्रस्तुत करने वाली कोई कम्पनी/संस्था/किसी अन्य परिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई संस्था हो, उसकी मुद्रा (सील) लगाई जाए :

निविदादाता के हस्ताक्षर .....